कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo_tons@yahoo.co.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक / पुरोला, दिनांक, 2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषय :– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्दरथ–भक्वाड़ मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 से बेगल मोटर मार्ग लम्बाई 6.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 4.950 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2110/12–1(1) दिनांक 01.03.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आपसे सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे इस स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2110 / 12–1(1) दिनांक, देहरादून, 07, ~~फरवरी~~ अप्रैल 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

विषयः जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्द्रथ–भंकवाड़ मोटर मार्ग के किमी 3.00 से बैगल मोटर मार्ग (लम्बाई 6.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 4.950 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भः **FP/UK/ ROAD /16129 / 2015** आपका पत्रांक 1856 / 12–1 दिनांक 22 जनवरी, 2016 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 1392 / 12–1 (1) दिनांक 27–11–2015

महोदय,

इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपको निर्देश दिये गये थे प्रस्ताव नोडल अधिकारी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी चैक लिस्ट के अनुसार ही प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित करें। आपके स्तर से प्राप्त ऑन लाईन प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियां पायी गई हैं –

1– प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में 4.950 है0 सिविल भूमि वांछित है जिसके संबंध में राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी के द्वारा सिविल लैण्ड अनुसूची में तथाकथित भूमि की विधिक स्थिति, स्थल का नाम, खसरा संख्या मे कुल क्षेत्रफल में से अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण दिया जाना है।

2– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्र को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित भूमि आवटित की जानी है। इस संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का नाम अंकित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाय।

3–मक डिस्पोजल हेतु पृष्ठ संख्या 90 ऐनेक्जर –11 लगाया गया है जिसमें सिविल मक डिस्पोजल हेतु 3.310 है0 वांछित होने का विवरण दिया गया है,किन्तु प्रस्तावक विभाग के द्वारा मक डिस्पोजल हेतु सिविल वन भूमि का आवेदन नहीं किया गया है, के संबंध में मक डम्पिंग की स्थिति स्पष्ट की जाय। आप निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। विदित हो कि भारत सरकार के स्तर से वन भूमि पर गैर वानिकी प्रत्यावर्तन हेतु जिसमें वृक्षों का भारी संख्या में पातन निहित है, के प्रकरणों में बहुत ही गहनता से परीक्षण कर रही है। यदि प्रस्ताव अस्पष्ट है तो इस प्रस्ताव को विदड्राल करते हुए पुनः सुस्पष्ट प्रस्ताव गठित किया जाय ताकि अनावश्यक विलम्ब व पत्राचार से बचा जा सके तथा प्रस्ताव उच्च स्तर को सही–सही प्रेषित किया जा सके। आप अपने स्तर से प्रस्ताव का भली प्रकार परीक्षण उपरान्त ही इस कार्यालय ऑन लाईन प्रेषित करें।

आपके स्तर से प्राप्त प्रस्ताव ऑन लाईन वापिस लौटाया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 2110 (1) /12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।